न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 115/2023

अनवान : –

1. रामसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 13/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 12 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 42/42 की कुल 23.2760 हैक्ट भूमि में से 5271/116380 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि में वादी का पता ढांड तहसील फतेहाबाद दर्ज है जबकि वादी का सही व वास्तविक पता ढीलकी जाटान तहसील नोहर है। राजस्व रिकार्ड में वादी का पता गलत दर्ज होने के कारण वादी के खातेदार हकूकों का हनन होता है तथा वादी को विभिन्न सरकारी योजनाओं केसीसी, खाद–बीज व अनुदान आदि नहीं मिल रहा है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना पता मुताबिक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मूल निवासी, राशन काड्र आदि के आधार पर ढांड तहसील फतेहाबाद के स्थान पर ढीलकी जाटान तहसील नोहर दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम शुद्धिकरण करने पर प्रतिवादी संख्या 1 को कोई परेशानी नहीं होती है क्योंकि राजस्व रिकार्ड में ना तो कोई हिस्सा कम होगा और ना ही कोई हिस्सा ज्यादा होगा।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा की राजस्व रिकार्ड में वादी का पता सही तस्लीम कर लेवे तो प्रतिवादी संख्या 1 कुछ दिन तक तो आजकल करते रहे अंत मे इंकार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.04 13:14:50 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने पक्षकारान को सुना व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा 12 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 42/42 की कुल 23.2760 हैक्ट भूमि में से 5271/116380 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि में वादी का पता ढांड तहसील फतेहाबाद दर्ज है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी का पता ढीलकी जाटान तहसील नोहर है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 12 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 42/42 की कुल 23.2760 हैक्ट भूमि में से 5271/116380 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का पता ढांड तहसील फतेहाबाद के स्थान पर ढीलकी जाटान तहसील नोहर** के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादी के पता ढांड तहसील फतेहाबाद के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का पता ढांड तहसील फतेहाबाद ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/08/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.04 13:14:50 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 115/2023
अनवान : –

1. रामसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 115 सन 202 निर्णय दिनांक 13/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 12 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 42/42 की कुल 23.2760 हैक्ट भूमि में से 5271/116380 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का पता ढांड तहसील फतेहाबाद के स्थान पर ढीलकी जाटान तहसील नोहर** के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादी के पता ढांड तहसील फतेहाबाद के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का पता ढांड तहसील फतेहाबाद ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.04 13:14:50 IST
Reason: SelfAttested